न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 104/2007
निर्णय दिनांक :16.11.2018

1. रामकिशन पुत्र जगन्नाथ बागडा निवासी आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थी/वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग राज0 सरकार।

...अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषण इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीटेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

वकील प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 57 रकबा 1 बीघा, 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 102 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 160 रकबा 17 बिस्वा, 175 रकबा 10 बिस्वा, 176 रकबा 15 बिस्वा, 205 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 206 रकबा 1 बिस्वा, 207 रकबा 19 बिस्वा, 221 रकबा 11 बिस्वा, 224 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 232 रकबा 5 बिस्वा, 235 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 238 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 242 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 243 रकबा 18 बिस्वा, 250 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 261 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 362 रकबा 7 बिस्वा, 263 रकबा 7 बिस्वा, 242 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 243 रकबा 18 बिस्वा, 250 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 261 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 362 रकबा 7 बिस्वा, 263 रकबा 7 बिस्वा, 265 रकबा 6 बिस्वा, 266 रकबा 6 बिस्वा, 267 रकबा 2 बिस्वा, 273 रकबा 3 बिस्वा, 274 रकबा 1 बिस्वा, 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 276 रकबा 1 बिस्वा, 280 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 330 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 360 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 266 रकबा 6 बिस्वा, 267 रकबा 2 बिस्वा, 273 रकबा 3 बिस्वा, 274 रकबा 1 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 276 रकबा 1 बिस्वा, 280 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 330 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 360 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 368 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 407 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 448 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम आसावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिन सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है।

प्रार्थी की उक्त आराजीयात के वर्तमान बन्दोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 63 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 64 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 65 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 66 रकबा 0.02 हैक्टेयर, 71 रकबा 0.45 हैक्टेयर, 108 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 349 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 350 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 354 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 372 रकबा 0.21 हैक्टेयर, 399 रकबा 0.67 हैक्टेयर, 400 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 406 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 409 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 411 रकबा 0.31 हैक्टेयर, 418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 419 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 422 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 429 रकबा 0.59 हैक्टेयर, 435 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 443 रकबा 0.61 हैक्टेयर, 446 रकबा 0.28 हैक्टेयर, 447 रकबा 0.09 हैक्टेयर, 448 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 455 रकबा 0.47 हैक्टेयर, 475 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.73

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, 483 रकबा 0.19 हैक्टेयर, 495 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 496 रकवा 0.03 हैक्टेयर, 606 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 670 रकबा 1.09 हैक्टेयर, 707 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 712 रकवा 0.12 हैक्टेयर, 713 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 477 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 478 रकवा 0.19 हैक्टेयर, 402 रकबा 0.32 हैक्टेयर, 398/766 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 407/789 रकवा 0.02 हैक्टेयर, 408/790 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 43 कुल रकबा 9.08 हैक्टेयर कायम कर प्रार्थी के नाम से राजस्व भू–अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की गई है। प्रार्थी की साविक आराजीयात का रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा है जिसका हैक्टेयर में परिवर्तित रकबा 9.45 हैक्टेयर होता है। वर्तमान भू–प्रबन्ध विभाग ने 9.08 हैक्टेयर रकबा ही प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया गया है जो साबिक से 0.37 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी की खातेदारी में कम दर्ज किया गया है। प्रार्थी साबिक हाल राजस्व रिकार्ड का मिलान कराकर व रकबा बरारी करा साविकानुसार अपने खातेदारी के रकबे की पूर्ति करवाने का अधिकारी है। साबिक खसरा नम्बर 448 का रकवा 4 बीघा 16 बिस्वा है जिसका परिवर्तित रकबा 1.21 हैक्टेयर होता है। साविक खसरा नम्वर 448 का वर्तमान बन्दोबस्त विभाग ने नवीन नम्बर 670 रकबा 1.09 हैक्टेयर कायम कर प्रार्थी की खातेदारीं में दर्ज किया है, जो साबिक के मुकाबले 0.12 हैक्टेयर रकवा कम दर्ज किया है। वर्तमान भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक से हाल नक्शा छोटा बनाकर रकवा कम किया है। साकिब से हाल नक्शा छोटा किया है उसको संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया है जिसका रकबा 0.12 हैक्टेयर होता है। इसी प्रकार साबिक खसरा नम्बर 206 रकवा 1 बिस्वा, 207 रकबा 19 बिस्वा जिसका परिवर्तित रकबा है0 में 0.5 है0 होता है। वर्तमान बन्दोबस्त विभाग ने उक्त खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 400 रकवा 0.17 हैक्टेयर कायम कर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया है। भू–प्रबन्ध विभाग ने साविक से इस नम्वर का नक्शा छोटा बनाया है, साबिक से हाल नक्शा छोटा किया है उसको संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया है, जिका रकबा 0.06 हैक्टेयर होता है तथा हाल खसरा नम्वर 400 का रकबा बरारी करने से 0.17 हैक्टेयर के बजाय 0.19 हैक्टेयर होता है इस प्रकार साबिका–नुसार 0.06 और 0.02 का कुल योग 0.08 हैक्टेयर रकबे की पूर्ति साविकानुसार होता है।'

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.6.2018 को वकील वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 06 आदेश 07 सीपीसी का पेश किया किये जाने पर दिनांक 14.09.2018 को बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थी की ओर से संशोधित वाद पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण की ओर अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी एक की ओर से जवाब निम्नानुसार हैः–

1. अप्रार्थीगण एक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर के जमाबन्दी सम्बवत् 2070–73 में खाता संख्या 69 पर रामकिशन पुत्र जगन्नाथ कौम ब्राहम्ण सा0देह के नाम से किता 37 रकबा 7.95 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है।
2. हाल खसरा नम्बर 400 रकबा 0.17 हैक्टेयर जो कि पुराने खसरा नम्बर 206 रकबा 1 विस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा जो कि कनर्वट से 0.2529 हैक्टेयर बनता है। इस खसरा नम्बर में पुराने खसरा नम्बर के मुकाबले 0.08 हैक्टेयर रकबा कम पडता है जबकि मौके पर पुरा है।
3. हाल खसरा नम्बर 670 रकबा 1.09 हैक्टेयर है। यह पुराने खसरा नम्बर 448 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा बना है। कनवर्ट करने पर 1.21 हैक्टेयर बनता है जबकि हाल खसरा नम्बर में

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

1.09 हैक्टेयर रकबा दर्ज है। अर्थात इस खसरा नम्बर 0.12 हैक्टेयर की कमी है। मौके पर खैतपुरा है तथा उसका रकबा पैमाईश करने पर 1.21 हैक्टेयर ही बना रहा है।

4. हाल खसरा नम्बर 108 रकबा 0.24 हैक्टेयर है जो पुराना खसरा नम्बर 102 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से बना है। जिसको कनवर्ट करने पर रकबा 0.28 हैक्टेयर बनता है। अर्थात इस नम्बर में 0.04 हैक्टेयर की कमी है जबकि मौके पर खेत पूरा 0.28 हैक्टेयर का है।

5. हाल खसरा नम्बर 350 रकबा 0.14 हैक्टेयर है जो पुराना खसरा नम्बर 176 रकबा 15 बिस्वा से बना है जिसका कनवर्ट करने पर 0.19 हैक्टेयर बनता है। मौके पर खेत 0.19 हैक्टेयर का है जो इस हाल खसरा नम्बर 0.05 हैक्टेयर की कमी है।

हाल खसरा नम्बर 411 रकबा 0.31 हैक्टेयर है जो कि पुराना खसरा नम्बर 224 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बना है जिसका कनवर्ट करने पर 0.33 हैक्टेयर बनता है। इस खसरा नम्बर में 0.02 की कमी है। खेत मौके पर पुरा है।

7. हाल खसरा नम्बर 446 रकबा 0.28 हैक्टेयर है जो कि पुराना खसरा नम्बर 242 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा से बना है। जिसका कनवर्ट करने पर 0.34 हैक्टेयर बनता है। मौके पर खेत पूरा है। इस खसरा नम्बर में 0.06 हैक्टेयर की कमी है।

हाल ख0न0	हाल रकबा	कमी रकबा	होना चाहिए मौके के अनुसार
400	0.17	0.08	0.25
670	1.09	0.12	1.21
108	0.24	0.04	0.28
350	0.14	0.05	0.19
411	0.31	0.02	0.33
446	0.28	0.06	0.34
कुल किता 6	2.23 हैक्ट0	0.37 हैक्ट0	2.60 हैक्ट0

इस खाते में पुराने रिकार्ड के अनुसार हाल रकबे में 0.37 हैक्टेयर की कमी है जो कि मौके पर, पुरा है जो कि खाता खाता नम्बर 101 सिचाई विभाग का खसरा नम्बर 403 रकबा 2.28 हैक्टेयर में से 0.37 हैक्टेयर कम कर खसरा नम्बर 400 रकबा 0.08, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 10 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर निम्नानुसार बढाया जाना प्रस्तावित है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 403 रकबा 2.28 हैक्टेयर की किसी भी भूमि पर किसी प्रकार से भी कर रखा है तो निशिचित रूप से हटाया जावेगा।

वाद व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर में स्थित वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात पर काबिज होकर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग–उपभोग कर रहा है। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। किन्तु वर्तमान बन्दोबस्त में 9.45 हैक्टेयर भूमि के मुकाबले 9.08 हैक्टेयर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की गयी है। जो गत आराजी के मुकाबले 0.37 हैक्टेयर कम है। जिसे व प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी में अधिक दर्ज किये जाने के कारण वापिस प्राप्त कर 0.37 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार कराने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

2. आयावादी वादपत्र में वर्णित मद संख्या 4 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 के खाते में बढा रकबा 0.37 हैक्टेयर कम कर राजस्व नक्शा दुरूस्त करने व रकबे की पूर्ति करने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है कि वादी के हक अधिकार की भूमि में दखल नही करे न ही सीमा जोड़ में प्रवेश करे।

जिम्मेवादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 2 भू–प्रबन्ध विभाग के नक्शा जमाबन्दी मौके की स्थिति के अनुसार काबिज है व इसी अनुरूप नक्शा बनाया है वादी किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड व नक्शे को दुरूस्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी संख्या 2

5. आया वादी का पुराने रिकार्ड के अनुसार हाल रकबा में 0.37 हैक्टेयर की कमी को सिचाई विभाग के खाता संख्या 101 के खसरा नम्बर 403 रकबा 2.28 में से कम की जाकर खसरा नम्बर 400 में 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर पर बढाया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिवादी संख्या 1

6. दादरसी।

वाद पर बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये बताया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 57 रकबा 1 बीघा, 61 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 102 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 160 रकबा 17 बिस्वा, 175 रकबा 10 बिस्वा, 176 रकबा 15 बिस्वा, 205 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 206 रकबा 1 बिस्वा, 207 रकबा 19 बिस्वा, 221 रकबा 11 बिस्वा, 224 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 232 रकबा 5 बिस्वा, 235 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 238 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 242 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 243 रकबा 18 बिस्वा, 250 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 261 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 362 रकबा 7 बिस्वा, 263 रकबा 7 बिस्वा, 242 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 243 रकबा 18 बिस्वा, 250 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 261 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 362 रकबा 7 बिस्वा, 263 रकबा 7 बिस्वा, 265 रकबा 6 बिस्वा, 266 रकबा 6 बिस्वा, 267 रकबा 2 बिस्वा, 273 रकबा 3 बिस्वा, 274 रकबा 1 बिस्वा, 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 276 रकबा 1 बिस्वा, 280 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 330 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 360 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 266 रकबा 6 बिस्वा, 267 रकबा 2 बिस्वा, 273 रकबा 3 बिस्वा, 274 रकबा 1 बिस्वा, 275 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 276 रकबा 1 बिस्वा, 280 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 330 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 360 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 368 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 407 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 448 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 33 कुल रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम आशावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित जिसके हैक्टेयर में परिवर्तित करने पर रकबा 9.45 हैक्टेयर होता है जो वर्तमान भू–प्रबन्धक विभाग ने 9.08 हैक्टेयर वादी की खातेदारी में दर्ज किया है जो साबिक से 0.37 हैक्टेयर कम किया जाकर साबिक हाल राजस्व रिकार्ड का मिलान करवा कर व रकबा बरारी कर साबिकानुसार वादी की खातेदारी में पूर्ति करावें। भू–प्रबन्धक विभाग ने साबिक से विपरित जाकर राजस्व रिकार्ड

(जगत राजेश्वर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned by CamScanner

व नक्शा तैयार किया है। खसरा नम्बर 403 रकबा 2.28 हैक्टेयर सिंचाई विभाग के खाते में 0.37 हैक्टेयर रकबा बढा दिया गया है। जो कम कर वादी के साबिकनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा उक्तानुसार दुरूस्त किया जावे।

वादी श्री रामकिशन दत्तक पुत्र श्री जगन्नाथ की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया है कि जिसमें अंकित किया है कि मेरे कब्जे काश्त की कृषि भूमि कुल किता 33 कुल रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा परिवर्तित हैक्टेयर 9.45 हैक्टेयर होता है जबकि भू--प्रबन्धक विभाग ने 9.08 हैक्टेयर रकबा ही मेरे खातेदारी मे दर्ज किया है जो साबिक से 0.37 हैक्टेयर कम है। राजस्व रिकार्ड का मिलान करा कर रकबा बरारी कर पूर्ति की जावें।

प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही। प्रतिवादी एक और दो की ओर से पेश जवाब दावा में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि बन्दोबस्त में वादी की खातेदारी भूमि 9.45 हैक्टेयर के मुकाबले 9.08 हैक्टेयर ही वादी की खातेदारी में दर्ज किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 400 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर कम है जिसकी पूर्ति खाता संख्या 101 सिचाई विभाग का खसरा नम्बर 403 रकबा 2.28 हैक्टेयर से किया जाना उचित प्रतित होता है।

अंतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 डिक्री किया जाकर वाके ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 400 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.121 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.34 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो। तहसीलदार सांगानेर को को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में दुरूस्ती करे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner